भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 600

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

टोल प्लाज़ा

600. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से तमिलनाडु में यात्रियों से वसूले गए टोल टैक्स का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विभिन्न टोल प्लाज़ाओं द्वारा यात्रियों से एकत्र की गई राशि टोल प्लाज़ा नियमों में निर्धारित राशि से अधिक थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि टोल प्लाज़ा प्रयोक्ताओं से केवल निर्धारित शुल्क/कर ही वसूल करें;

(घ) करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टोल प्लाज़ाओं की संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त टोल प्लाज़ाओं की ठेके की अवधि क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वर्ष 2019 से तमिलनाडु राज्य में राजमार्ग प्रयोक्ताओं से एकत्रित प्रयोक्ता शुल्क (टोल) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्त वर्ष	प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण (करोड़ रु. में)
1.	**2019-20**	**2,610.43**
2.	**2020-21**	**2,332.79**
3.	**2021-22**	**2,695.78**
4.	**2022-23**	**3,817.49**
5.	**2023-24**	**4,221.50**
6.	**2024-25 (दिसंबर, 2024 तक)**	**2,871.54**

(ख) जी नहीं। शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के उपयोग के लिए एकत्र किया जाता है**,** जो देश भर में समान रूप से संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है।

(ग) सभी शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का इलेक्ट्रॉनिक मोड लागू किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि शुल्क प्लाजा को पार करते समय सड़क प्रयोक्ता के फास्टैग खाते से स्वत: ही केवल विशेष श्रेणी के वाहन के लिए लागू दर ही ली जाती है।

इसके अलावा, राजमार्ग प्रयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क प्लाजा पर विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए लागू दरें प्रदर्शित की जाती हैं।

(घ) और (ड.) करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 04 प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा संचालन में हैं। विवरण निम्नानुसार है:

रारा सं.	**खंड**	**शुल्क प्लाजा का नाम**	**शुल्क प्लाजा का प्रकार**	**संविदा अवधि**	**टिप्पणियां**
83	त्रिची - डिंडीगुल खंड	पोन्नमबालापट्टी	बीओटी (टोल)	15.01.2008 से 14.01.2038	रियायत करार के अनुसार अवधि
81	त्रिची - करूर खंड	मानावासी	बीओटी (टोल)	15.01.2008 से 14.01.2038	रियायत करार के अनुसार अवधि
44	करूर - डिंडीगुल खंड	वेलनचेट्टियुर	बीओटी (टोल)	16.10.2006 से 15.10.2026	रियायत करार के अनुसार अवधि
38	त्रिची - तोवरनकुरिची - मदुरै खंड	बूथाकुडी	ईपीसी	10.07.2024 से 10.07.2025	वर्तमान संग्रहण एजेंसी की संविदा अवधि (एक वर्ष का अनुबंध)

रियायत करार के अनुसार अधिसूचित शुल्क रियायत अवधि के अंत तक लगाया जा सकेगा और रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास के ऐसे खंड के हस्तांतरण की तिथि पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, **2008** के नियम 4 के उप-नियम (**2)** के तहत विनिर्दिष्ट शुल्क के अनुसार केंद्र सरकार या निष्पादन प्राधिकरण द्वारा शुल्क एकत्र किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा। तथापि, सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाइपास के ऐसे खंड के लिए लगाए जाने योग्य शुल्क, जैसा भी मामला हो, इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा।

बीओटी परियोजनाओं के मामले में, रियायत अवधि की समाप्ति के बाद, टोल प्लाजा केंद्र सरकार को सौंप दिया जाता है और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से टोल एकत्र किया जाता है।

*****